न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
शिमला मीणा (आरटीएस)
दिनांक 21.10.2020

मि.न.37 / 2020

सरकार बनाम रामसिंह
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भालोजी ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1075 / 0.24 है0 किस्म बारानी –3 मेंसे 0.24 है0 पर रामसिंह पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी सा0देह ने लोहे के तार एवं जाल लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। गैर सायल जरिये अधिवक्ता सुरेन्द्र चौधरी उपस्थित आये। गैर सायल अधिवक्ता ने जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायल अधिवक्ता ने अपन जबाब में कथन किया है कि गैर सायल को पटवारी हल्का की गलत एवं बेबुनियाद रिपोर्ट के आधार पर नोटिस दिया गया है। जबाब देहन्दा ने खसरा नंबर 1075 / 0.24 किस्म बारानी तृतीय (साबी नदी परियोजना संस्था के लिए) वाके ग्राम दादूका के किसी भी भाग पर अतिक्रमण नही कर रखा है। बल्कि गैर सायल द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1074 व 922 वाके मौजा दादूका में बाजरा की फसल काश्त कर रखी है।गैर सायल को जो नोटिस दिया गया है वह हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट पर आधारित है जबकि पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर कोई सीमाज्ञान नही किया। गैर सायल ने कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है गैर सायल को बेवजह द्वेषतावश हैरान व परेशान करने के लिये कार्यवाही की गई है। जबकि गैर सायल द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1074 व 922 की तारबन्दी की हुई है। इससे पूर्व पटवारी हल्का भालोजी द्वारा उक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 1075 बाबत दिनांक 7.7.2020 को पेश रिपोर्ट में भी कोई लोहे के ऐंगल जाल व तारबन्दी नही लिखी है तथा इसी प्रकार दिनांक 17.7.2020 को श्री मदनलाल भू0अ0नि0 सरूण्ड के नेतृत्व में मौका निरीक्षण टीम ने भी लोहे के ऐंगल जाल व तारबन्दी नहीं बताई है।श्रीमान न्यायालय द्वारा मिसल नम्बर 22 / 2020 में उक्त खसरा नम्बर 1075 पर पटवारी रिपोर्ट व भू.अ.नि. टीम की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिनांक 30.7.2020 को किया गया है लेकिन उसके बावजूद भी गैरकानूनी रूप से बिना विधिक प्रक्रिया के पुनः नोटिस जारी किया गया है जो बेबुनियाद है। पूर्व में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में व श्रीमान द्वारा दिये गये नोटिस में खसरा नम्बर 1075 / 0.24 किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज किया हुआ है जबकि उक्त वर्णित खसरा नंबर 1075 की किस्म बारानी तृतीय दर्ज है। इस प्रकार ना तो राजस्व रिकार्ड का ठीक से अवलोकन किया गया है एव ना ही मौके पर जाकर सीमाज्ञान किया है क्योंकि आसपास व प्रार्थी की भूमि में बाजरे की फसल खड़ी है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में सीमाज्ञान किया जाना संभव भी नहीं था। मौके पर बिना सीमाज्ञान किये

प्रार्थी को हैरान परेशान करने की गर्ज से द्वेषतावश यह नोटिस दिया गया है। उक्त भूमि खसरा नंबर 1075/0.24 किस्म बारानी तृतीय (कास्तकार का नाम– साबी नदी परियोजना संस्था के लिए) दर्ज है जिसको दफा 91 राज0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट में सुनने का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं है अतः कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे। उक्त खसरा नंबर से संबन्धित अन्य पत्रावली में पारित निर्णय दिनांक 30.7.2020 के संबन्ध में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा पारित आदेश की प्रति पेश की गई जो संलग्न पत्रावली की गई। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में दिनांक 30.7.2020 को पारित आदेश की कियान्विति आगामी आदेश तक स्थगित रखी है।पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नंबर 1075/0.24 है 0 किस्म बारानी –3 (साबी नदी परियोजना) एक सिवायचक भूमि है जिस पर गैर सायल द्वारा लोहे के तार व जाल लगाकर अतिक्रमण किये जाने की पेश की गई है। जिस पर राजस्व टीम द्वारा की गई जांच दिनांक 8.10.2020 के अनुसार गैर सायल का उक्त अतिक्रमण स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। तथा उक्त भूमि राजकीय सिवायचक होने पर प्रकरण उस पर अतिक्रमण किये जाने का है जिसको सुनने का अधिकार नियमानुसार धारा 91 के तहत इस न्यायालय को है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा गैर सायल द्वारा प्रस्तुत अपील मे दिनांक 14.10.2020 के द्वारा गैर सायल द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.7.2020 को यथावत रखा है हमने भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट, पटवारी हल्का रिपोर्ट ,गैर सायल के जबाब व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायलान का उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्व होता है , अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायल रामसिंह पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1075/0.24है0 किस्म बारानी–3 (साबी नदी परियोजना) मे से 0.24है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर लगाये गये लोहे के तार एव जाल को हटाया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.48रू. का पचास गुणा 24 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली एवं निलामी के आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक21.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।